

आदेश - पत्रक

संयुक्त 14-फारम नं० 562

(सेल अभिलेख, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से
 जिला से दा० खा० वाइ.सं. 470/13-14

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और परामर्शकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

श्री शुभाषी श्रीमती सिन्हा

चर्मन प्रसाद ग्राम जहपूर
इस्लामपुर जिला नामदा

पं० धाला नं० 2957 दिनांक 31/5/11

क. आधार पर निम्न ताकत का आधार पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

बिगा का नाम	कौजी नं०	घाता नं०	खसरा	एराजी
<u>खीपूर</u>	—	<u>204</u>	<u>4238</u>	<u>1200</u>
<u>19</u>		<u>325</u>	<u>4239</u>	<u>कालिका</u>

मूल आवेदन पत्र सेल कार्यालय को अंचल निरीक्षक के माध्यम से
 प्रतिवेदन हेतु दे दे। महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति को माँग कर।
 अभिलेख दिनांक 01/04/13 को उपस्थित करें।

महाल अधिकारी अंचल अधिकारी

महाल पर नाममात्र नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।
 कार्यालय का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने
 आवेदन के नाम दाखिल खारिज करने की अनुमति किये हैं। फलतः उनके
 अनुशासन को आधार पर दाखिल खारिज किया जाता है। शक्यता पर प्रतिक्रिया
 प्रेषित एवं मुद्रित किया।

युक्ति अनुसार प्रस्ताव का
 प्रस्ताव को खारिज कर
 का 1/4/13 को
 का 1/4/13 को
 का 1/4/13 को